

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 89/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या - 2012/00177

उनवान


1. कुसुम देवी पत्नी घनश्याम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।
2. कमला देवी पत्नी हरीओम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्री कृष्ण पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासीयान मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।
2. नवाव खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति मनियार निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला मथुरा(उ० प्र०)
3. त्रिलोकचन्द उर्फ टिल्लू } पुत्रगण हरिश्चन्द्र } जाति वैश्य नि० ग्राम मनियाँ तह० व जिला
4. राधेश्याम उर्फ पोपल } धौलपुर।
5. विशनदेई पत्नी मदनलाल
6. भूरी पत्नी डा० सुरेशचन्द्र जाति वैश्व निवासी जवाहर नगर, धौलपुर।
7. मदन गोपाल पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य
8. राधेश्याम }  
9. विजेन्द्र } पुत्रगण हुब्बलाल जाति ओझा } निवासीगण ग्राम मनियाँ तहसील व जिला
10. रामखिलाडी } धौलपुर।
11. रामदत्त }  
12. पप्पू }  
13. विशनस्वरूप } पुत्र प्रयागनारायण जाति वैश्य }  
14. भगवानस्वरूप }  
15. हेमचन्द पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य  
16. मुंशीलाल पुत्र राजाराम जाति वैश्य  
17. कमला पत्नी मुंशीलाल जाति वैश्य  
18. रामदेवी पत्नी विजेन्द्र जाति ओझा  
19. योगेन्द्र पुत्र मुंशीलाल जाति वैश्य  
20. राज० सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

  
भू-प्रबन्ध प्राधिकारी,  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर कैम्प-धौलपुर



अपील संख्या:- 12/2013 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या - 2013/00099

उनवान

1. रामादेवी पत्नि श्री विजेन्द्र जाति ओझा निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
2. विजेन्द्र
3. राधेश्याम
4. रामखिलाडी
5. रामदत्त
6. पप्पू
7. योगेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री मुंशीलाल गुप्ता जाति वैश्य निवासी मनियों जिला धौलपुर।
8. मुंशीलाल गुप्ता पुत्र श्री राजाराम गुप्ता जाति वैश्य निवासी मनियों जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्री कृष्ण पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासीयान मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
2. नवाव खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति मनियार निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला मथुरा(उ०प्र०)
3. त्रिलोकचन्द उर्फ टिल्लू
4. राधेश्याम उर्फ पोपल
5. विशनदेई पत्नी मदनलाल
6. भूरी पत्नी डा० सुरेशचन्द्र जाति वैश्य निवासी जवाहर नगर, धौलपुर।
7. मदन गोपाल पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
8. विशनस्वरूप
9. भगवानस्वरूप
10. हेमचन्द्र पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
11. कुसुम देवी पत्नी घनश्याम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
12. कमला देवी पत्नी हरीओम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियों तहसील व जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012  
न्यायालय सहायक कलक्टर(मु०) धौलपुर प्रकरण  
संख्या 143/2010 उनवानी श्रीकृष्ण बनाम नवाव  
खॉ वगै०।

उपरिथति:-

1. श्री निशान्त भार्गव एवं श्री लक्ष्मण सिंह जादौन वकील अपीलांट।
2. श्री नत्थीलाल शर्मा वकील रेस्पोंडेंट।

५  
पु-नवाव परिवारी,  
पदेन  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
भरतपुर जेम्स-जीलपुर

निर्णय

दिनांक-26.03.2021

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त दोनों अपीलो में समान आराजी व समान पक्षकार अर्न्तनिहित होने से दोनों अपीलो को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्प० संख्या 01 ने एक दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्प० इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 862 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम मनियों उप तहसील मनियों तहसील व जिला धौलपुर में वादी/रैस्प० संख्या 01, 1/5 भाग का अभिलिखित खातेदार कृषक है एवं संयुक्त अधिपत्यधारी एवं सहखातेदारान भूमि के साथ संयुक्त रूप से काबिज है। चूंकि विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। अतः सहखातेदारान के बीच विवादित आराजी को इस्तमाल करने में मनमुटाव बना रहता है। अतः विवादित आराजी का विधिवत विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन एवं प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्प० को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 21.02.2011 को प्रारम्भिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलव किये जाकर अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट श्रीमती कुसुम देवी एवं राम देवी द्वारा यह दोनों अपीले पृथक-पृथक रूप से, इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पॉडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों अपीलों में एक साथ, बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. अपीलाण्ट्स के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार धौलपुर को अधिकृत किया था। तहसीलदार धौलपुर का कर्तव्य था कि वह उभयपक्षों को पूर्व सूचना देकर उनकी उपस्थिति में स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु तहसीलदार धौलपुर ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उनके द्वारा ना तो पक्षकारों को कोई नोटिस जारी किये गये तथा ना ही तहसीलदार धौलपुर स्वयं मौके पर गये उन्होंने पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्तावों पर प्रति-हस्ताक्षर करते हुये, विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये हैं जो विधि विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह स्पष्ट आदेश था कि पक्षकारों के मौके पर कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जावें। परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। जिसकी आपत्ति



पु-प्रवक्ता अधिकारी,  
 पदेन  
 राज० अपील अधिकारी  
 भरतपुर संय-धौलपुर

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अधीन प्रस्तुत की थी। अपीलाण्ट का जिस स्थान पर कब्जा है वह स्थान अन्य सहखातेदारान को दे दिया गया एवं रकवे को भी घटा- बढा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति का निस्तारण सरसरी तौर पर करते हुये, दावा अन्तिम डिक्री करने में भूल की है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2019(1) पेज 380, 2019(2) पेज 1547 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुये, प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई व नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन सही व विधि अनुरूप है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही बनाये गये हैं एवं सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बनाये गये हैं। विभाजन प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विभाजन प्रस्तावों पर तहसीलदार मनिया, तहसीलदार धौलपुर, पटवारी हल्का, आई एल आर के हस्ताक्षर हो रहे हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि कुर्रे तहसीलदार द्वारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के तैयार किये गये हैं एवं पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि कुर्रे प्रस्ताव उनकी अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं एवं कुर्रे प्रस्तावों को तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) 1955 नियम 18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नहीं हैं। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध कुर्रे प्रस्तावों में अंकित है कि "न्यायालय सहायक कलक्टर मु० धौलपुर के आदेश की अनुपालना में प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 862 रकवा 1-03 बीघा के कुर्रेजात तैयार किये गये, जो राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार तैयार किये गये हैं" उक्त कुर्रे प्रस्तावों में स्वयं तहसीलदार के हस्ताक्षरों के साथ अन्य राजस्व कार्मिक हल्का पटवारी, गिरदावर एवं नायब तहसीलदार मनियों के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त कुर्रे प्रस्तावों में यह कही भी अंकित नहीं है कि कुर्रे प्रस्ताव पटवारी अथवा गिरदावर से तैयार कर भिजवाये जा रहे हैं। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.01.2012 से उक्त कुर्रे प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये हैं उस पत्र में भी, यह ही अंकित है कि चाहे गये विभाजन प्रस्ताव, तैयार कर पत्र के संलग्न भिजवाये जा रहे हैं। विभाजन प्रस्ताव एवं उक्त पत्र में यह कही भी अंकित नहीं है कि प्रकरण में चाहे गये विभाजन प्रस्ताव पटवारी, गिरदावार अथवा नायब तहसीलदार से तैयार कर भिजवाये जा रहे हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभाजन प्रस्तावों में यह भी अंकित है कि पक्षकारान उपस्थित नहीं आये तथा हस्ताक्षर करने से भी मना किया। जिससे जाहिर होता है कि मौके पर पक्षकारान उपस्थित थे एवं उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस तथ्य को जब तक गलत नहीं माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य

पु-प्रमुख प्राधिकारी,

पदेन

राजस्थान अपील प्राधिकारी


भरतपुर केंद्र-धौलपुर

से गलत सिद्ध नहीं कर देते। इस प्रकार अपीलाण्ट ने अपीलाधीन कुर्रे प्रस्तावों में त्रुटि के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं बताया है। अपीलाण्ट स्वयं ने विभाजन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया एवं अपने प्रार्थना पत्र एतराज कुर्रे प्रस्ताव में भी उक्त के अलावा कोई भिन्न कुर्रे भी नहीं बताये हैं। अतः कुर्रे तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन के नियमों अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बँटवारा करते हुए बनाये हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्रत्यक्षतः तर्क संगत मालूम होता है, जिसमें हम किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जावता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
26.3.2021  
(अखिलेश कुमार पिपल)  
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं  
कार्यो भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर कैम्प धौलपुर

51

1

10  
ग

व  
री  
के

डिकरी व मुकीदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दाबानो

**(civil procedure code; Appendix D&I)**

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर  
(इजलास अखिलेश कुमार पिपल आर0 ए0 एस0)

**प्रकरण संख्या :- 12/2013 (धारा 223 आर. टी.एक्ट.)**

1. रामादेवी पत्नि श्री बिजेन्द्र जाति ओझा निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
2. बिजेन्द्र
3. राधेश्याम
4. रामखिलाडी
5. रामदत्त
6. पप्पू
7. योगेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री मुंशीलाल गुप्ता जाति वैश्य निवासी मनियों जिला धौलपुर।
8. मुंशीलाल गुप्ता पुत्र श्री राजाराम गुप्ता जाति वैश्य निवासी मनियों जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

**बनाम**

1. श्री कृष्ण पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासीगण मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
2. नवाब खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति मनिहार निवासी ग्राम जिरोली तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)।
3. त्रिलोकचन्द उर्फ टिल्लू } पुत्रगण हरीशचन्द्र } जाति वैश्य नि0 ग्राम मनियों तह0 व जिला धौलपुर।
4. राधेश्याम उर्फ पोपल }
5. विशनदेई पत्नी मदनलाल
6. भूरी पत्नी डा0 सुरेशचन्द्र जाति वैश्य निवासी जवाहर नगर, धौलपुर।
7. मदन गोपाल पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य
8. विशनस्वरूप } पुत्र प्रयागनारायण जाति वैश्य निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
9. भगवानस्वरूप }
10. हेमचन्द्र पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
11. कुसुमदेवी पत्नी घनश्याम जाति वैश्य निवासी ग्राम निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
12. कमलादेवी पत्नी हरिओम जाति वैश्य निवासी ग्राम निवासी मनियों तहसील व जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 15.05.2012 मि.नं. 143/2010 उनवानी श्रीकृष्ण बनाम नवाब खॉ वगैरहा।

आज इस मुकदमा का फैसला कतई रूबरू मुझ व हाजरी श्री लक्ष्मणसिंह जादौन अभिभाषक मिनजानिव अपीलान्ट एंव मिनजानिव रेस्पोंडेंट श्री विनोद कुमार भार्गव अभिभाषक हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 यथावत रखे जाते है।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2021 को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)

राजस्व अपील प्राधिकारी एंव  
कार्यवाहक भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर कैम्प धौलपुर

